केवल राम

बनाम

श्रीमती राम लुभाई और अन्य और वाइस वर्सा

26 मार्च, 1987

[वी. खालिद और जी. एल. ओजा न्यायाधिपतिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, आदेश IX नियम 13 का दायरा - विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित एक एकपक्षीय डिक्री को दरिकनार करने के लिए आवेदन की गुंजाइश - क्या विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश IX नियम 13 के तहत दायर एक आवेदन क्रम में है।

तीन प्रतिवादियों के खिलाफ एक चुनाव लड़ने वाले और अन्य दो पूर्व पक्षीय और गैर-सेवा प्राप्त और अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए मुकदमे में संयुक्त आदेश पारित किया गया - विचारण न्यायालय सेवा रहित प्रतिवादियों द्वारा आदेश IX नियम 13 के तहत एक आवेदन को स्वीकार करता है, और केवल उनके खिलाफ डिक्री को दरिकनार करता है-आदेश का स्वामित्व।

कालू राम नामक व्यक्ति के पास 90 कनाल जमीन थी। उन्होंने इस जमीन को दिनांक 1.8.1966 एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा Rs.65,000 के प्रतिफल पर तीन भाइयों केवल राम, चेत राम और कुलदीप को बेच दिया। केवल राम जालंधर जिले के गाँव बदाला में रहता है। चेत राम और कुलदिप राम 71, विंडसर रोड, फॉरेस्ट गेट, लंदन में रह रहे थे।

कालू राम की नाबालिंग बेटी श्रीमती राम लुभाई ने जमीन पर कब्जे के लिए इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि विक्रेता की बेटी होने के नाते उसे उन विक्रेताओं के मुकाबले प्री-एम्प्शन का बेहतर अधिकार है जो अजनबी थे। केवल राम को ही मुकदमे में पेश किया गया। अन्य दो को तामील नहीं हुई। इसलिए, स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा उन पर सेवा के लिए स्थानापन्न सेवा ली गई। मुकदमे का फैसला 31.7.1969 को तीनों प्रतिवादियों के खिलाफ, चेत राम और कुलदीप राम के खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुनाया गया। केवल राम ने इस डिक्री और फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उन्होंने अपने भाइयों चेत राम और कुलदीप राम को सेवा के लिए अपने गांव का पता देने वाले प्रो-फॉर्मा उत्तरदाताओं के रूप में बनाया। अपील में भी उन्हें प्रतिस्थापित सेवा प्रदान की गई। अपील पर 5.1.1971 को सुनवाई हुई और खारिज कर दी गई।

24.3.1971 को, कुलदीप राम और चेत राम ने सी.पी.सी. के आदेश 9, नियम 13 के तहत एक आवेदन दायर किया। विचारण न्यायालय में उनके खिलाफ एकपक्षीय डिक्री को इस आधार पर रद्द करने के लिए कि उन्हें न तो विचारण न्यायालय में और न ही अपीलीय कोर्ट में सेवा दी गई थी। विचारण न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया और पारित डिक्री को निरस्त कर दिया। दिनांक 10.1.1972 के इस आदेश के विरुद्ध वादी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सी.आर.पी. के रूप में पुनरीक्षण याचिका संख्या 147/1972 दायर की। उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि संशोधित किए जाने वाले आदेश में क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन यह माना कि चूंकि केवल राम ने मुकदमा लड़ा था, इसलिए उनके खिलाफ डिक्री को रद्द करने का कोई आधार नहीं था। इस पर याचिका आंशिक रूप से मंजूर कर ली गई। केवल राम के खिलाफ डिक्री को बरकरार रखा गया लेकिन अन्य दो के खिलाफ खारिज कर दिया गया। श्रीमती राम लुभाया द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका को हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था। अतः विशेष अनुमित द्वारा अपील।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया : यह अच्छी तरह से तय है कि जब विचारण न्यायालय की डिक्री की या तो पृष्टि की जाती है, संशोधित की जाती है या अपीलीय डिक्री को उलट दिया जाता है, सिवाय इसके कि जब पक्षकारों को नोटिस दिए बिना डिक्री पारित की जाती है, तो विचारण न्यायालय की डिक्री अपीलीय डिक्री में विलय हो जाती है। लेकिन जब किसी पक्ष को सूचना दिए बिना डिक्री पारित की जाती है, तो वह डिक्री कानूनन डिक्री नहीं होगी, जिसका वह एक पक्ष है। अपीलीय डिक्री के मामले में भी ऐसा ही है। इस मामले में इन दोनों व्यक्तियों को मुकदमें में तामील नहीं कराया गया। उन्हें मुकदमें की सूचना दिए बिना ही उनके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई। इसिलए, कानून में उनके खिलाफ कोई डिक्री नहीं है। अपील में भी उनकी तामील नहीं हुई। यदि उन्हें अपील में तामील किया गया होता, तो चीजें अलग होतीं। वे अपील में अपना मामला रख सकते थे और उचित आदेश पारित करवा सकते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है. ऐसा होने पर, आदेश 1X, नियम 13 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष उनके खिलाफ एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है। [689 जी-एच; 690 ए-बी]

आदेश IX नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन स्वीकार करने पर व्यक्तिगत रूप से सेवा दिए बिना दूसरों के खिलाफ पारित एकपक्षीय डिक्री को रद्द करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ एक संयुक्त डिक्री की अनुमित देने में कानून की कोई त्रुटि नहीं है, जिसने पूरे समय वाद में पैरवी की थी। [690 सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 15/1974

सिविल रिवीजन संख्या 147/72 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.1.1973 से। ए.बी. रोहतगी, ए. मिनोचा और श्रीमती वी. मिनोचा; सीए नंबर 15/1974 में और क्रमांक 1875/1974 में प्रतिवादी।

राजिंदर सच्चर, के.बी. रोहतगी, प्रवीण जैन, एस.के. ढींगरा और बलदेव अत्रे; सी.ए. क्रमांक 15/1974 में प्रतिवादियों की ओर से एवं सी.ए. क्रमांक 1875/1974 में अपीलकर्ता की ओर से ।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए आर.बी. दातार, कैलाश वासदेव और नौनित लाल।

न्यायालय का निर्णय खालिद न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। ये दोनों अपीलें एक ही मुकदमे से उत्पन्न हुई हैं और इन्हें एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा सकता है। अपील में शामिल प्रश्न को समझने के लिए आवश्यक तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है:

कालू राम नामक व्यक्ति के पास 90 कनाल जमीन थी। उन्होंने इस जमीन को दिनांक 1.8.1966 एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा Rs.65,000 के प्रतिफल पर तीन भाइयों केवल राम, चेत राम और कुलदीप को बेच दिया। केवल राम जालंधर जिले के गाँव बदाला में रहता है। चेत राम और कुलदिप राम 71, विंडसर रोड, फॉरेस्ट गेट, लंदन में रह रहे थे।

विक्रेता कालू राम की नाबालिंग बेटी श्रीमती राम लुभाई ने इस आधार पर जमीन पर कब्ज़ा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें से ये अपीलें उठीं कि विक्रेता की बेटी होने के नाते उसे क्रेता के मुकाबले प्री-एम्प्शन का बेहतर अधिकार था, जो कि अजनबी थे। केवल राम को ही मुकदमें में पेश किया गया। अन्य दो की तामील नहीं की गई। इसलिए, स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा उन पर सेवा के लिए स्थानापन्न सेवा ली गई। मुकदमें का फैसला 31-7-1969 को तीनों प्रतिवादियों के खिलाफ, चेत राम और कुलदीप राम के खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुनाया गया। केवल राम ने इस डिक्री

और फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उन्होंने अपने भाइयों चेत राम और कुलदीप राम को तामील के लिए अपने गांव का पता देने वाले तरतीबी प्रतिवादीगण के रूप में बनाया। अपील में भी उन्हें प्रतिस्थापित सेवा प्रदान की गई। अपील पर 5-1.1971 को सुनवाई हुई और खारिज कर दी गई।

24-3-1971 को, कुलदीप राम और चेत राम ने सी.पी.सी. के आदेश 9, नियम 13 के तहत एक आवेदन विचारण न्यायालय में उनके खिलाफ एकपक्षीय डिक्री को इस आधार पर रद्द करने के लिए दायर किया कि उन्हें न तो विचारण न्यायालयमें और न ही अपीलीय कोर्ट में सेवा दी गई थी। इस आवेदन का वादी ने इस आधार पर विरोध किया था कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन अक्षम था क्योंकि डिक्री अपीलीय डिक्री में विलय हो गई थी। साक्ष्य लिए गए और पक्षों को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने पूरी डिक्री को रद्द कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने ऐसा माना कि कुलदीप राम और चेत राम इंग्लैंड में रह रहे थे और उनकी व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ऐसा होने पर, आवेदन ट्रायल कोर्ट में सक्षम था क्योंकि उन्हें न तो ट्रायल कोर्ट में और न ही अपीलीय न्यायालय में तामील किया गया था।

दिनांक 10.1.1972 के इस आदेश के विरुद्ध वादी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सी.आर.पी. संख्या 47/1972 के रूप में पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि संशोधित किए जाने वाले आदेश में क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन यह माना कि चूंकि केवल राम ने मुकदमा लड़ा था, इसलिए उनके खिलाफ डिक्री को रद्द करने का कोई आधार नहीं था। इस आधार पर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई। केवल राम के खिलाफ डिक्री को बरकरार रखा गया लेकिन अन्य दो के खिलाफ खारिज कर दिया गया।

इस आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर, वादी ने इस आधार पर समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया कि प्री-एम्प्शन के माध्यम से कब्जे की डिक्री सभी प्रतिवादियों के

खिलाफ संयुक्त थी, िक भूमि में शेयरों का कोई विनिर्देश नहीं था। तीन अलग-अलग विक्रेताओं ने उनके द्वारा भुगतान की गई खरीद मूल्य का विवरण नहीं दिया और इस प्रकार डिक्री को रद्द करने का आदेश आंशिक रूप से खराब था। इस उद्देश्य के लिए लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसकी रिपोर्ट एआईआर 1945 लाहौर 184 में दी गई थी। आदेश 9, िनयम 13 सी.पी.सी. के प्रावधानों पर भी भरोसा किया गया था। करतार सिंह बनाम जगत सिंह और अन्य, आईएलआर 1971 2 पंजाब एंड हरियाणा 110 के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, इस समीक्षा याचिका को 30 मई, 1973 के आदेश द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए ये अपील विशेष अनुमित द्वारा, पहली (सी.ए. 15/74) केवल राम द्वारा और दूसरी (सी.ए. 1875/74) वादी द्वारा।

वादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि केवल राम के दोनों भाई मुकदमे की लंबितता के बारे में सभी प्रासंगिक समयों से अवगत थे और निचली अदालतों ने उनके खिलाफ डिक्री को रद्द करने में त्रुटि की है। इस तर्क को मजबूत करने के लिए, उन्होंने हमारे ध्यान में यह तथ्य लाया कि केवल राम द्वारा दायर अपील में भी, उनके भाइयों का दिया गया पता गांव का ही पता था। उन्होंने आगे कहा कि आदेश 9, नियम 13 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष किया गया आवेदन अक्षम था क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री अपीलीय डिक्री में विलय हो गई थी। उन्होंने वादी को हराने के लिए दोनों भाइयों के बीच मिलीभगत का मामला कमज़ोर ढंग से सामने रखा।

केवल राम जो अन्य अपील में अपीलकर्ता हैं, ने तर्क दिया कि यह डिक्री एक संयुक्त डिक्री थी और इसे आंशिक रूप से रद्द करना ओर डिक्री को आंशिक रूप से बनाये रखना अस्वीकार्य था। उसके अनुसार जब उसके दो भाइयों के विरुद्ध आदेश रद्द कर दिया गया तो उसे उसके विरुद्ध भी रद्द कर दिया जाना चाहिए था। चूँकि विचाराधीन डिक्री प्री-एम्प्शन के अधिकार पर आधारित है, इसलिए हमारे लिए इससे छुटकारा पाना और आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, [1986] 2 एससीसी 249 जिसके निर्णय से पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट, 1913 को कुछ हद तक छोड़कर रद्द कर दिया गया था में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए एक संक्षिप्त निर्णय द्वारा अपील का निपटान करना संभव होता। लेकिन उपर्युक्त निर्णय में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी को देखते हुए वह रास्ता हमारे लिए खुला नहीं है:

"हमें बताया गया है कि कुछ मामलों में मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। ऐसे अौर, जहां डिक्री पारित हो चुकी है, अपील अपीलीय अदालतों में लंबित हैं। ऐसे मुकदमों और अपीलों का निपटारा अब हमारे द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किया जाएगा। हमें बताया गया है ऐसे कुछ मामले हैं जहां मुकदमों का फैसला सुनाया गया है और डिक्री अंतिम हो गई है, उन डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। डिक्री अंतरपक्षीय बाध्यकारी होगी और हमारे द्वारा दी गई घोषणा से संबंधित पक्षों को कोई फायदा नहीं होगा। "

चूंकि डिक्री अंतिम हो गई है, इसलिए इस मामले में निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

यह हमें इस सवाल पर ले जाता है कि क्या ट्रायल कोर्ट के समक्ष आदेश IX, नियम 13 के तहत आवेदन, जब मामला अपीलीय अदालत द्वारा तय किया गया था, उचित है। हम इस निष्कर्ष पर आगे बढ़ते हैं कि न तो कुलदीप राम और न ही चेत राम को मुकदमे या अपील में सेवा दी गई।

एक कमजोर तर्क यह पेश किया गया कि इन दोनों व्यक्तियों पर सेवा का प्रभाव न डालकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। हम मामले के इस पहलू पर विचार करने का

प्रस्ताव नहीं रखते हैं क्योंकि इस मामले की ठीक से पैरवी नहीं की गई या इसे साबित नहीं किया गया। इस निर्णय के प्रयोजन के लिए, हम निचली अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को न तो मुकदमे में और न ही अपील में सेवा दी गई थी। यदि हाँ, तो स्थिति क्या है? यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब ट्रायल कोर्ट की डिक्री की अपीलीय डिक्री द्वारा या तो पृष्टि की जाती है, संशोधित की जाती है या उलट दी जाती है, सिवाय इसके कि जब पार्टियों को नोटिस दिए बिना डिक्री पारित की जाती है, तो ट्रायल कोर्ट की डिक्री अपीलीय डिक्री में विलय हो जाती है। लेकिन जब किसी पक्ष को सूचना दिए बिना डिक्री पारित की जाती है, तो वह डिक्री कानूनन डिक्री नहीं होगी, जिसका वह एक पक्ष है। अपीलीय डिक्री के मामले में भी ऐसा ही है। इस मामले में इन दोनों व्यक्तियों को मुकदमे में तामील नहीं कराया गया। उन्हें मुकदमे की सूचना दिए बिना ही उनके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई। इसलिए, कानून में उनके खिलाफ कोई डिक्री नहीं है। अपील में भी उनकी तामील नहीं ह्ई। यदि उन्हें अपील में तामील किया गया होता, तो चीजें अलग होतीं। वे अपील में अपना मामला रख सकते थे और उचित आदेश पारित करवा सकते थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है. ऐसा होने पर, उनके खिलाफ एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आदेश IX, नियम 13 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनके द्वारा आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है। वादी द्वारा दायर अपील में यही एकमात्र मुद्दा उठता है। अपील विफल हो जाएगी और खारिज कर दी जाएगी।

केवल राम की अपील इस दलील पर आधारित है कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत द्वारा उनके और उनके दो भाइयों के खिलाफ पारित डिक्री एक संयुक्त और अविभाज्य डिक्री थी और इस तरह डिक्री को आदेश IX, नियम 13 के तहत दायर किये गये आवेदन को आंशिक रूप से अनुमित देकर रद्द नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 1945 लाहौर 184 में रिपोर्ट किए गए लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को

लागू किया। हम उस फैसले में तय किए गए सिद्धांत पर विचार करने से नहीं रुकते क्योंकि इस मामले के तथ्य उस पर कोई लागू नहीं होता है। यहां वादी ने प्री-एम्प्शन के अधिकार के आधार पर केवल राम के विरुद्ध डिक्री प्राप्त कर ली है। जहां तक संपत्ति में केवल राम के अधिकार का सवाल है, उस डिक्री को कायम रहना होगा। संपत्तियों में अपना हिस्सा पाने के लिए उसे या तो निष्पादन में या विभाजन के मुकदमे के माध्यम से यहां उपाय करना होगा। सिविल अपील संख्या 15/1974 में भी कोई योग्यता नहीं है। यह अपील भी खारिज की जाती है.

वादी, कुलदीप राम और चेत राम से संपत्ति के लिए भुगतान की गई राशि का दो-तिहाई हिस्सा वापस पाने का हकदार होगा। पक्षकारों को उनकी लागत वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

एस.आर.

अपीले खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

शेर सिंह एवं अन्य

बनाम

फाईनेंसियल कमिश्नर ऑफ प्लानिंग, पंजाब एवं अन्य

26 मार्च 1987

[वि. खालिद और जी.एल. ओझा, न्यायाधिपतिगण]

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 धारा 88 और 89 और हरियाणा कानूनों का अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश 1968, खंड 10 और 11, दायरा और प्रभाव - क्या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश जो अंतिम हो गए हैं, पुनर्गठन के बाद भी जारी रहेंगे।

पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1930, धारा 9(1)(i), 10 ए(ए), 10 ए(बी) और 10 बी- - उसके तहत पारित आदेश का प्रभाव

बलवंत सिंह पश्चिमी पाकिस्तान से आये एक विस्थापित व्यक्ति थे। उनके पास विभिन्न गांवों में वितिरत कुल 67 मानक एकड़ भूमि का स्वामित्व था। 8.11.1960 को जब पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1930 के तहत कार्यवाही शुरू की गई, तो विशेष कलेक्टर, पंजाब ने उनसे संबंधित 29 मानक एकड़ को अधिशेष क्षेत्र घोषित कर दिया। ऐसा करते समय उनके द्वारा किये गये तबादलों को नजरअंदाज कर दिया गया. उसके पास उस संपत्ति को चुनने का विकल्प था जो उसके हिस्से में आती थी। उन्होंने सेमानी गांव में स्थित अपनी पूरी जमीन को अपने अनुमेय क्षेत्र के रूप में चुना और मोहम्मद पेरा, जिला फिरोजपुर में किसी भी क्षेत्र का विकल्प नहीं चुना। विशेष कलेक्टर ने उनके लिए 50 मानक एकड़ के अनुमेय क्षेत्र को बनाने के लिए ढाव खरियाल गांव में उनकी जोत में से लगभग 18 मानक एकड़ जमीन आरक्षित कर दी। विशेष कलेक्टर के आदेश का यह भाग अंतिम हो गया।

1.11.1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 लागू हुआ और उसके परिणामस्चरूप, बलवंत सिंह की मूल संपत्तियाँ नए राज्य पंजाब और नए राज्य हरियाणा के अंतर्गत आ गईं। दिसंबर 1966 में, बलवंत सिंह, उनकी पत्नी और उनके नाबालिग बेटे ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को विशेष कलेक्टर द्वारा उनके आदेश दिनांक 8.11.1960 द्वारा घोषित अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने से रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए एक रिट याचिका दायर की। एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित सभी तीन तर्कों को खारिज कर दिया; (1) राज्यों के पुनर्गठन के बाद, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में भूमि के मालिक लोग यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें दोनों राज्यों में अलग-अलग अनुमेय क्षेत्र अनुमति दी जानी चाहिए; (2) कि 1 नवंबर 1966 से पहले अधिशेष क्षेत्र के संबंध में पारित आदेश और उस समय तक किस क्षेत्र का उपयोग नहीं किया गया था, इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाना चाहिए; और (3) कि अधिशेष भूमि की घोषणा करने वाली कार्यवाही हस्तांतरितियों को नोटिस के अभाव में खराब थी।

जब मामला अपील में लिया गया, तो खंडपीठ को लगा कि इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और इसिलए अपील को पूर्ण बेंच को भेज दिया गया। पूर्ण पीठ ने मामले पर विस्तार से विचार किया और माना कि 1 नवंबर, 1966 से पहले पारित क्षेत्र को अधिशेष घोषित करने वाला आदेश उस तारीख के बाद भी प्रभावी रहेगा, भले ही उस आदेश को लागू नहीं किया गया हो और जिन व्यक्तियों के पास नई भूमि है सृजित राज्य, कानूनन, अधिनियम के तहत अलग आवंटन के हकदार नहीं हैं। इसिलए प्रमाण पत्र द्वारा अपील।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित किया : 1.1 पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1930, की योजना के तहत, 15 अप्रैल, 1953 को किसी व्यक्ति की संपूर्ण होल्डिंग को उसके अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाना है। सरकार उस व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है जिसके विरुद्ध बेदखल किए गए या बेदखल किए जाने वाले किरायेदारों के पुनर्वास के लिए घोषणा का आदेश दिया गया है। [696 डी-ई]

1.2 यह सच है कि किसी मालिक की भूमि को अधिशेष घोषित करने के आदेश के साथ, किरायेदारों के पुन: निपटान के लिए अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने के लिए सरकार को एक समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, अधिशेष घोषित की गई भूमि पर अधिकार सरकार में निहित हो जाता है जिसे किरायेदारों के बीच पुन: बंदोबस्त के लिए वितरित किया जाता है। यह एक अपरिहार्य अधिकार है जिसे सरकार सुरक्षित रखती है। इसलिए, यदि अतिरिक्त भूमि का उपयोग नहीं किया गया तो अपीलकर्ता को भूमि वापस नहीं मिल सकती। [697 ए-सी]

1.3 अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सरकार को अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए कोई समय सीमा लगाता हो। न ही ऐसा कोई प्रावधान है जो भूमि के मालिक को भूमि पर वापस दावा करने और यदि सरकार द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे वापस पाने का अधिकार देता है। अधिनियम में अपवाद के रूप में जो कुछ भी शामिल है वह धारा 10 ए(बी) में देखा गया है। यदि अधिनियम के प्रारंभ के समय, सरकार द्वारा संबंधित अधिग्रहण कानूनों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है या जब यह विरासत का मामला होता है, तो मालिक अपनी सीमा के निर्धारण के लिए ऐसी भूमि को अपनी भूमि से बाहर करने का दावा कर सकता है। दूसरा अपवाद स्वयं धारा 10 बी के प्रावधान से और अधिक बंधा हुआ है, जहां धारा 10 ए(बी) के तहत अधिशेष क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का उपयोग किए जाने के बाद उत्तराधिकार खुल गया था, विरासत द्वारा वारिस के पक्ष में निर्दिष्ट बचत इस प्रकार उपयोग किए गए क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होगी। संक्षेप में कहें तो, सरकार के पास अधिनियम के तहत दो अपवादों के अधीन किरायेदारों

के पुनर्स्थापन के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए समय सीमा के बिना एक निर्बाध अधिकार था। यद्यपि यह वांछनीय है कि पुनः बंदोबस्त यथाशीघ्र किया जाना चाहिए, किरायेदारों को फिर से बसाने में सरकार की ओर से निष्क्रियता से मालिक को भूमि की बहाली की शक्ति नहीं मिलेगी। [697 बी-एफ]

- 2.1 अपीलकर्ता दो दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ पाने का हकदार नहीं है; दूसरे शब्दों में, पंजाब में पूरी 50 एकड़ जमीन और हरियाणा में 50 एकड़ जमीन का कोटा, ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 88 अधिनियम के प्रावधानों को बनाता है जो पंजाब के पुराने राज्य पर लागू थे, और नये राज्य पर भी लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में, 1.11.1966 से पहले पारित आदेश, जो अंतिम बन गया, अधिशेष क्षेत्र की घोषणा को प्रभावी किया जाएगा और आदेश राज्य के विभाजन से प्रभावित हुए बिना लागू किया जाएगा। [697 एफ-जी; 698 बी]
- 2.2 हरियाणा कानूनों के अनुक्लन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1968 के खंड 10 और 11 का एक संयुक्त वाचन यह भी स्पष्ट करता है कि 1 नवंबर, 1966 से पहले किया गया कोई भी आदेश या कुछ भी किया गया या कोई दायित्व या उपार्जित अधिकार होगा, आदेश के लागू होने से प्रभावित नहीं होंगे। [698 जी-एच]
- 2.3 खंड 10 और 11 स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि संबंधित राज्य सरकारें 1 नवंबर, 1966 से पहले पारित आदेशों को प्रभावी करने की हकदार होंगी, जिसमें पंजाब राज्य के पुनर्संगठन के बावजूद, किरायेदारों के पुन: निपटान के लिए उनका उपयोग करके अधिशेष क्षेत्र की घोषणा की जाएगी। पारित आदेशों का दोनों राज्यों द्वारा सम्मान किया जाएगा। तथ्य यह है कि किसी विशेष मालिक की भूमि, आकस्मिक परिस्थितियों में, दो नवगठित राज्यों में आती है, किसी भी तरह से उन आदेशों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी जो 1 नवंबर, 1966 से पहले अंतिम हो गए थे। अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार करने के लिए विसंगतियाँ पैदा करेगा। जिन व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई

थी और 1 नवंबर, 1966 से पहले अंतिम हो गई थी, वे दोनों राज्यों में भूमि पर दावा करने के हकदार होंगे, जबिक जिनकी याचिकाएं राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने की तारीख पर लंबित हैं, वे इसमें एक हानिकर स्थिति में शामिल होंगे। यह अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। न ही इसके पीछे की योजना। राज्य का पुनर्गठन एक ऐतिहासिक दुर्घटना थी। बेदखल किये गये किरायेदारों या फिर से बसने की आवश्यकता वाले किरायेदारों के उल्लेख में भूमि मालिक इस दुर्घटना का फायदा नहीं उठा सकते। [698 एच; 699 ए-सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 341/1973

एल.पी.ए. क्रमांक 566/1968 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदे दिनांक 26.2.1971 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से हरबंस सिंह।

आर.एस. सोढ़ी और एस.के. सिन्हा, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय खालिद न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। यह पंजाब और हिरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के 20 नवंबर, 1970 के फैसले के खिलाफ प्रमाण पत्र द्वारा एक अपील है। इस अपील में शामिल प्रश्न सरल लेकिन अस्थिर है। पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्न इस प्रकार है:

"क्या पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद पंजाब और हिरयाणा दोनों राज्यों में भूमि के मालिक 1 नवंबर, 1966 के बाद प्रत्येक राज्य में भूमि पर आधिपत्य रखते हुये अलग-अलग अनुमेय क्षेत्र को बनाए रखने का दावा कर सकते हैं। यदि हां, तो क्या एक आदेश घोषित किया गया है अधिशेष क्षेत्र को उपर्युक्त तिथि से पहले पारित कर दिया गया था, लेकिन कौन सा आदेश लागू नहीं किया गया है और

इस प्रकार घोषित अधिशेष भूमि का वास्तव में उपयोग नहीं किया गया है, उक्त तिथि के बाद भी प्रभावी रहेगा?

अब तथ्य, बलवंत सिंह पश्चिमी पाकिस्तान से आये एक विस्थापित व्यक्ति थे। उनके पास विभिन्न गांवों में वितरित क्ल 67 मानक एकड़ भूमि का स्वामित्व था। अनुसार उन्होंने 1957 में कुछ संपत्तियां अजनबियों को बेच दी थीं और शेष अपनी पत्नी और नाबालिंग बेटे के पक्ष में बेच दी थीं। 8 नवंबर, 1960 को, जब पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट, 1930 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। 'विशेष कलेक्टर, पंजाब ने उनकी 29 मानक एकड़ जमीन को अधिशेष क्षेत्र घोषित कर ऐसा करते समय उनके द्वारा ऊपर बताए गए तबादलों को नजरअंदाज कर दिया उसके पास उस संपत्ति को चुनने का विकल्प था जो उसके हिस्से में आती थी। उन्होंने अपनी संपूर्ण भूमि और ग्राम समानी में स्थित भूमि को अपने अनुमेय क्षेत्र के रूप में चुना और मोहम्मद पेरा, जिला फिरोजपुर में किसी भी क्षेत्र का विकल्प नहीं चुना। विशेष कलेक्टर ने उनके लिए 50 मानक एकड़ के अनुमेय क्षेत्र को बनाने के लिए ढाब खरियाल गांव में उनकी जोत में से लगभग 18 मानक एकड़ जमीन आरक्षित कर दी। हालाँकि, यह विशेष कलेक्टर के आदेश के हिस्से को अपील में चुनौती दी गई, 5 जनवरी, 1965 को आयुक्त, जालंधर डिवीजन द्वारा इसकी पृष्टि की गई, क्योंकि उनके समक्ष अपील को सीमा द्वारा वर्जित माना गया था। अपीलकर्ता ने एक पुनरीक्षण दायर करके मामले को वित्तीय आयुक्त, योजना, पंजाब के समक्ष उठाया। इसे 19-2-1965 को खारिज कर दिया गया।

1 नवंबर, 1966 को, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, (संक्षेप में, पुनर्गठन अधिनियम) लागू हुआ। पंजाब राज्य को अधिनियम के तहत वर्तमान पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में वितरित किया गया था। दिसंबर, 1966 में, बलवंत सिंह, उनकी पत्नी और उनके नाबालिंग बेटे ने पंजाब और

हरियाणा राज्यों को विशेष कलेक्टर द्वारा उनके आदेश दिनांक 8-11-1960 द्वारा घोषित अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने से रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए एक रिट याचिका दायर की। यहां यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जो मूल संपत्तियां उनकी थीं, वे नए राज्य पंजाब और नए राज्य हरियाणा के अंतर्गत आती थीं।

मामला विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आया। उनके सामने निम्निलिखित प्रश्न उठाए गए: (1) राज्यों के पुनर्गठन के बाद, पंजाब और हिरयाणा दोनों राज्यों में भूमि के मालिक यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें दोनों राज्यों में अलग-अलग अनुमेय क्षेत्र की अनुमित दी जानी चाहिए, (2) जो आदेश 1 नवंबर, 1966 से पहले अधिशेष क्षेत्र के संबंध में पारित किया गया, और उस क्षेत्र का तब तक उपयोग नहीं किया गया था, इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाना चाहिए और (3) कि अधिशेष भूमि की घोषणा करने वाली कार्यवाही हस्तांतरितियों को नोटिस के अभाव में खराब थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन तर्कों को निरस्त कर दिया गया।

उन्होंने मामले को अपील में ले गये। जिस खंडपीठ के समक्ष अपील पोस्ट की गई थी, उसे लगा कि इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और इसलिए अपील को एक पूर्ण पीठ के पास भेज दिया गया।

पूर्ण पीठ ने मामले पर विस्तार से विचार किया और माना कि 1 नवंबर, 1966 से पहले पारित क्षेत्र को अधिशेष घोषित करने वाला आदेश उस तारीख के बाद भी प्रभावी रहेगा, भले ही उस आदेश को लागू नहीं किया गया हो और जिन व्यक्तियों के पास नई भूमि है सृजित राज्य, कानूनन, अधिनियम के तहत अलग आवंटन के हकदार नहीं हैं। यह पूर्ण पीठ का निष्कर्ष है जिस पर न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर हमारे सामने चुनौती दी गई है।

बलवंत सिंह के पास अनुमेय क्षेत्र से अधिक अर्थात 50 मानक एकड़ भूमि थी। अतिरिक्त क्षेत्र अधिशेष घोषित किये जाने योग्य था। अधिशेष क्षेत्र विशेष कलेक्टर द्वारा उसके आदेश दिनांक 8.11.1960 द्वारा घोषित किया गया था। अपील और पुनरीक्षण में इसकी पुष्टि की गई। पुनरीक्षण आदेश दिनांक 19 फरवरी, 1965 का है, अर्थात 1 नवंबर 1966 से पहले, जब पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दोनों राज्यों के पुनर्गठन के कारण, उनकी हिस्सेदारी का एक हिस्सा हरियाणा राज्य के क्षेत्र में और दूसरा हिस्सा पंजाब राज्य में गिर गया। उन्होंने एक तर्क पेश किया कि उनके पास दोनों राज्यों में से प्रत्येक में 50 मानक एकड़ भूमि हो सकती है। इस आधार पर, उन्होंने 8 नवंबर, 1960 के आदेश पर सवाल उठाया। उन्होंने अतिरिक्त दलील के साथ इस तर्क का समर्थन किया कि उक्त आदेश लागू नहीं किया गया था और भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था जिसका उपयोग नहीं किया गया था।

पूर्ण पीठ द्वारा तय किया जाने वाला प्रश्न यह था कि क्या जो आदेश अंतिम हो गया था, वह पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने की तारीख के बाद भी प्रभावी रहेगा, जब उस आदेश को प्रभावी नहीं किया गया था और सरकार द्वारा उपयोग किया गया अधिशेष क्षेत्र नहीं था।

अधिनियम की योजना के तहत, 15 अप्रैल, 1953 को किसी व्यक्ति की संपूर्ण हिस्सेदारी को उसके अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जाना है। सरकार उस व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है जिसके विरुद्ध बेदखल किए गए या बेदखल किए जाने वाले किरायेदारों के पुनर्वास के लिए घोषणा का आदेश दिया गया है। धारा 9(1)(i) और 10 ए(ए), जो इस प्रकार हैं, स्थिति स्पष्ट करती हैं:

"9(1)। तत्समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी भूमि मालिक किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए सक्षम नहीं होगा, सिवाय इसके कि जब ऐसा किरायेदार...

(i) इस अधिनियम के तहत आरक्षित क्षेत्र पर किरायेदार है या एक छोटी भूमि के मालिक का किरायेदार है; या

•••

"10 ए(ए) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई भी अधिकारी, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के तहत बेदखल किए गए, या बेदखल किए जाने वाले किरायेदारों के पुन: निपटान के लिए किसी भी अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम होगा।

उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया और हमारे सामने दोहराया गया कि आदेश को तब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया जब तक कि अधिशेष क्षेत्र का वास्तव में उपयोग नहीं किया गया, और किरायेदारों को वहां फिर से बसाया नहीं गया। यह तर्क उच्च न्यायालय के पक्ष में नहीं मिला। हम वर्तमान में जांच करेंगे कि क्या विवाद में कोई दम है। यह सच है कि किसी मालिक की भूमि को अधिशेष घोषित करने के आदेश के साथ, सरकार को किरायेदारों के पून: निपटान के लिए अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने का एक समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, अधिशेष घोषित भूमि पर अधिकार सरकार में निहित हो जाता है, जिसे किरायेदारों के बीच पुन: बंदोबस्त के लिए वितरित किया जाता है। यह एक अपरिहार्य अधिकार है जिसे सरकार स्रक्षित रखती है। अपीलकर्ता का यह तर्क सही नहीं है कि यदि अधिशेष का उपयोग नहीं किया गया होता तो वह भूमि वापस पा सकता था। अधिनियम में ऐसा क्छ भी नहीं है जो अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए सरकार पर कोई समय सीमा लगाता हो। न ही ऐसा कोई प्रावधान है जो भूमि के मालिक को भूमि वापस लेने का दावा करने और यदि सरकार द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है तो उसे वापस दिलाने का अधिकार देता है। अधिनियम में अपवाद के रूप में जो कुछ भी शामिल है वह धारा 10 ए(बी) में देखा गया है। यदि अधिनियम के प्रारंभ के समय, सरकार द्वारा संबंधित अधिग्रहण कानूनों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है या जब यह विरासत का मामला होता है, तो मालिक अपनी सीमा के निर्धारण के लिए ऐसी भूमि को अपनी भूमि से बाहर करने का दावा कर सकता है। दूसरा अपवाद स्वयं धारा 10-बी के प्रावधान से बंधा हुआ है कि जहां धारा 10 ए (ए) के तहत अधिशेष क्षेत्र या उसके किसी हिस्से का उपयोग किए जाने के बाद उत्तराधिकार खोला गया था, विरासत द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष में निर्दिष्ट बचत नहीं होगी इस प्रकार उपयोग किए गए क्षेत्र के संबंध में आवेदन करें। संक्षेप में कहें तो, ऊपर उल्लिखित दो अपवादों के अधीन, सरकार के पास अधिनियम के तहत किरायेदारों के पुन: निपटान के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए समय सीमा के बिना एक निर्वाध अधिकार था। निःसंदेह, यह वांछनीय है कि पुनर्निपटान यथासंभव शीघ्रता से किया जाना चाहिए। किरायेदारों को फिर से बसाने में सरकार की निष्क्रियता से मालिक को भूमि की बहाली की शिक्त नहीं मिलेगी। इसलिए, भूमि के गैर-उपयोग पर आधारित अपीलकर्ता का तर्क विफल हो गया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता दोनों दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ पाने का हकदार है; दूसरे शब्दों में, पंजाब में पूरी 50 एकड़ जमीन और हरियाणा में 50 एकड़ जमीन का कोटा हासिल करना। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 स्थिति स्पष्ट करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"भाग II के प्रावधानों को उन क्षेत्रों में किसी भी बदलाव के लिए प्रभावी नहीं माना जाएगा जहां नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई भी कानून लागू होता है या लागू होता है, और पंजाब राज्य के लिए ऐसे किसी भी कानून में क्षेत्रीय संदर्भ, जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है एक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों के अर्थ के रूप में समझा जाएगा, नियत दिनांक से ठीक पहले।

इस धारा के अनुसार अधिनियम के जो प्रावधान पुराने राज्य पंजाब पर लागू थे, वे नये राज्य पर भी लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में, 1 नवंबर, 1966 से पहले पारित आदेश, जो अधिशेष क्षेत्र की घोषणा करते हुए अंतिम हो गया, को प्रभावी किया जाएगा और आदेश राज्य के विभाजन से प्रभावित हुए बिना लागू किया जाएगा। पुनर्गठन अधिनियम के बाद, हरियाणा के राज्यपाल ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा कानूनों का अनुक्लन (राज्य और समवर्ती विषय), आदेश, 1968 नाम से एक आदेश, 23.19.68 को इसे 1 नवंबर, 1966 से पूर्वव्यापी प्रभाव में लाया गया। आदेश के खंड 10 और 11 इस प्रकार हैं:

"10. इस आदेश के प्रावधान जो किसी भी कानून को अनुकूलित या संशोधित करते हैं ताकि उस तरीके को बदल दिया जा सके, जिसके द्वारा प्राधिकरण, या जिस कानून के तहत या जिसके अनुसार कोई भी शक्तियां प्रयोग की जा सकती हैं, वह किसी भी अधिसूचना आदेश, लाइसेंस, अनुमति, पुरस्कार, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि को अमान्य नहीं करेगी। नियम या विनियम विधिवत बनाया या जारी किया गया, या नियत दिन से पहले विधिवत किया गया क्छ भी; और ऐसी कोई भी अधिसूचना, आदेश लाइसेंस, अनुमति, प्रस्कार, प्रतिबद्धता, कुर्की, उपविधि, नियम, विनियम या चीज़ को समान तरीके से, समान सीमा तक और समान परिस्थितियों में रद्द, परिवर्तित या पूर्ववत किया जा सकता है जैसे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के प्रारंभ होने के बाद इसे बनाया, जारी किया गया या किया गया हो और ऐसे मामले पर लागू प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार। 11. इस आदेश में कुछ भी मौजूदा राज्य कानून या ऐसे किसी भी कानून के तहत पहले से अर्जित, अर्जित या उपगत किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व के पिछले संचालन या विधिवत किए गए या भ्गते गए किसी भी काम को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे किसी भी कानून के

खिलाफ पहले से ही किए गए किसी अपराध के संबंध में जुर्माना, जब्ती या सजा।"

इन दोनों खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1 नवंबर, 1966 से पहले किया गया कोई भी आदेश या किया गया कोई भी कार्य या कोई दायित्व या अर्जित अधिकार आदेश के लागू होने से प्रभावित नहीं होगा। ये दो खंड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संबंधित राज्य सरकार पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बावजूद, किरायेदारों के पुनर्वास के लिए अधिशेष क्षेत्र की घोषणा करते हुए 2 नवंबर से पहले पारित आदेश को प्रभावी करने की हकदार होगी। पारित आदेशों का दोनों राज्यों द्वारा सम्मान किया जाएगा। तथ्य यह है कि किसी विशेष मालिक की भूमि, आकस्मिक परिस्थितियों में, दो नवगठित राज्यों में आती है, किसी भी तरह से उन आदेशों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी जो 1 नवंबर, 1966 से पहले अंतिम हो गए थे। अपीलकर्ता का तर्क विसंगतियाँ पैदा करेगा। जिन व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई थी और 1 नवंबर, 1966 से पहले अंतिम हो गई थी, वे दोनों राज्यों में भूमि पर दावा करने के हकदार होंगे, जबिक जिनकी याचिकाएं राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने की तारीख पर लंबित हैं, वे इसमें एक हानिकर स्थिति शामिल करेगे। यह अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। न ही इसके पीछे की योजना। राज्य का पुनर्गठन एक ऐतिहासिक द्र्घटना ज़मीन के मालिक इस दुर्घटना का फायदा नहीं उठा सकते, जिससे बेदखल किए गए किरायेदारों या फिर से बसने की आवश्यकता वाले किरायेदारों को न्कसान होगा। उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता के विरुद्ध संदर्भित प्रश्न का उत्तर देना उच्च न्यायालय द्वारा उचित था। तदनुसार अपील खारिज की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

एस.आर.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।